

संख्या- 45 /2023/ 2626 /004-9-7002-002-2-2022

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,
उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-7**लखनऊ : दिनांक 29 नवंबर, 2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त के विषयगत अवगत कराना है कि कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-05/2023/491/001-9-7002-002-2-2022 दिनांक-03.03.2023 द्वारा विभिन्न नगर निकायों को गौशाला/पशु शेल्टर होम्स का निर्माण कराये जाने हेतु प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजनान्तर्गत उपलब्ध धनराशि में से कान्हा गौशाला/पशु शेल्टर होम्स का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु उपर्युक्त शासनादेश में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित नागर निकायों को उनके नाम के सम्मुख अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि कुल ₹ 426.76 लाख (रुपये चार करोड़ छब्बीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) चालू कार्यों हेतु अवमुक्त किये जाने की मा. राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	निकाय का नाम/जनपद	शासनादेश संख्या व दिनांक	प्राविधानित धनराशि	प्रथम किश्त की धनराशि	द्वितीय/ अन्तिम किश्त की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर निगम प्रयागराज	05/2023/491/001-9-7002-002-2-2022 दिनांक- 03.03.2023	331.78	35.00	296.78
2	नगर पंचायत कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़	05/2023/491/001-9-7002-002-2-2022 दिनांक- 03.03.2023	164.98	35.00	129.98
कुल योग			496.76	70.00	426.76

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) निदेशक, नगरीय निकाय द्वारा कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को निकायों के द्वारा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर नियमानुसार ई-पेमेन्ट के माध्यम से अन्तरित करायी जायेगी।

(2) यह भी सूच्य है कि उपर्युक्त निकायों को अवमुक्त की जा रही द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.2024 तक के लिये निर्धारित है। अतः उक्त अवधि में द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि का उपयोग कर निर्धारित प्रारूप मंत उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक नगरीय निकाय/शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) नगर पंचायत/नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से third party inspection(गुणवत्ता निरीक्षण) पी0डब्ल्यू0डी0आर0ई0एस0 के अधिशासी अभियन्ता स्तर से कराया जायेगा तथा गुणवत्ता संतोषजनक होने पर ही अधिशासी अधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(4) संबंधित नागर निकाय को कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत पूर्व में जारी की गयी वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-5/2023/491/001-9-7002-002-2-2022, दिनांक- 03.03.2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,26,76,000 (रुपये चार करोड़ छब्बीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2070008000700** कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना **मानक मद 35** पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally Signed by कल्याण

बनर्जी

Date: 29-11-2023 13:26:57

Reason: Approved.
(कल्याण बनर्जी)

संयुक्त सचिव।

I/435793/2023

संख्या- 45 /2023/ 2626(1) /004-9-7002-002-2-2022, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5. नगर आयुक्त नगर निगम प्रयागराज।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ ।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ0प्र0, प्रयागराज।
8. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2
9. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

Digitally Signed by कल्याण
बनर्जी

Date: 29-11-2023 13:26:00

(कल्याण बनर्जी)

संयुक्त सचिव।